अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लाधी रोड़, नई दिल्ली - 110003

सुझाव

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अखबार शुरू करने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित वीडियो देखें:

1. **शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया:** आर.एन.आई की शीर्षक सत्यापन संबंधी वीडियो (HTTP://RNI.NIC.IN/VIDEOS/TITLE_VERIFICATIONVIDEO.MP4)
2. **शीर्षक पंजीकरण प्रक्रिया:** आर.एन.आई. की शीर्षक पंजीकरण वीडियो (HTTP://RNI.NIC.IN/VIDEOS/RNI_TITLE_REGISTRATION.MP4)

1. क्या समाचार पत्र को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) के पास पंजीकृत करना अनिवार्य है?

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 5 स्पष्ट करती है कि भारत में समाचारपत्र इस अधिनियम में यथा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही प्रकाशित किए जाएगें, इसके अलावा कोई भी समाचारपत्र प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 11ख के तहत प्रकाशक द्वारा प्रकाशित प्रत्येक समाचारपत्र/पत्रिका की एक प्रति प्रेस पंजीयक को सौंपी जानी अनिवार्य है। इस प्रकार, देश में कोई पत्रिका/समाचारपत्र प्रकाशित करने के लिए भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय में उसका पंजीयन एक आवश्यकता है। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय में किसी समाचारपत्र का पंजीयन दूसरों के द्वारा उसके शीर्षक का दुरुपयोग होने से भी बचाता है।

2. नए समाचारपत्र के पंजीयन के लिए कौन से चरण सम्मिलित हैं?

समाचारपत्र के पंजीयन में 2 चरण शामिल हैं:

- शीर्षक का सत्यापन, और
- शीर्षक का पंजीयन।

3. नए शीर्षक के सत्यापन के लिए मैं कैसे आवेदन करूं?

ऑनलाइन शीर्षक आवेदन पत्र (HTTP://RNI.NIC.IN/ONLINE_APPLICATION/ONLINE-APPLICATION.ASPX) लिंक के माध्यम से आवेदक को ऑनलाइन शीर्षक आवेदन पत्र भरना होगा और तत्पश्चात इसे प्रमाणीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। इसकी एक प्रति संबंधित प्रमाणीकरण प्राधिकारी (डीएम/डीसी/एसडीएम/डीसीपी/जेसीपी/सीएमएम आदि) के कार्यालय में उनकी मोहर और हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात, प्राधिकारी शीर्षक के सत्यापन के लिए आवेदन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय को प्रमाणीकरण के पश्चात प्रेषित करते हैं।

4. किसी शीर्षक की उपलब्धता की जांच कैसे करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेरा आवेदन समानता के आधार पर आरएनआई द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाए?

मौजूदा शीर्षकों की जांच करने के लिए WWW.RNI.NIC.IN पर लॉग इन करें और सत्यापित शीर्षक टैब पर क्लिक करें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर परिणामों के लिए पूरे शब्द/शब्दांश का उपयोग करने के बजाय वे शब्द के भाग/शब्दांश का उपयोग करके खोजें। (आवेदक के शीर्षक चुनने के विकल्पों को सुविधाजनक बनाने के लिए ही यह दिशानिर्देश दिया गया है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तावित शीर्षक की गारंटी है)।

5. आरएनआई द्वारा सत्यापन के पश्चात शीर्षक के पंजीयन (आरएनआई के पास) के लिए आवेदन करने की निर्धारित अवधि क्या है?

शीर्षक सत्यापन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर प्रकाशक को पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। किसी सत्यापित शीर्षक जिसके लिए 180 दिनों की अवधि भीतर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, उसे अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए डी-ब्लॉक कर दिया जाएगा।

6. जिस सत्यापित शीर्षक का पंजीयन आवेदन 180 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसका क्या होता है?

शीर्षक स्वत: डी-ब्लॉक हो जाता है।

7. किसी शीर्षक के डी-ब्लॉक हो जाने के पश्चात क्या होता है?

शीर्षक डी-ब्लॉक के पश्चात अन्य आवेदकों हेतु उपलब्ध हो जाता है तथा पूर्व स्वामि का इसपर कोई अधिकार नहीं रह जाता। शीर्षक के सत्यापन के लिए प्रमाणीकरण प्राधिकारी के माध्यम से एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8. एक शीर्षक द्विभाषी/बहुभाषी में सत्यापित किया गया है। क्या इसकी प्रत्येक भाषा के लिए अलग घोषणापत्र दाखिल करने की आवश्यकता है?

नहीं। केवल एक घोषणापत्र दाखिल करने की आवश्यकता है। उक्त घोषणापत्र के कॉलम 2 में सभी सत्यापित भाषाएं दर्शाई जानी चाहिए। फिर भी यदि प्रकाशक केवल एक ही भाषा में प्रकाशन करना चाहते हैं तो उन्हें घोषणापत्र में भाषा हटाने की भी जानकारी देनी होगी। ध्यान रहे की सत्यापित शीर्षक में भाषाएँ हटाई जा सकती हैं परन्तु नयी भाषा सत्यापान के पश्चात नहीं जोड़ी जा सकती है।

9. एक शीर्षक को द्विभाषी/बहुभाषी में सत्यापित किया गया है। क्या प्रत्येक भाषा के लिए अलग अंक प्रकाशित करने की आवश्यकता है?

नहीं। सभी सत्यापित भाषाओं में सामग्री/लेखों वाला केवल एक ही अंक प्रकाशित किया जाएगा।

10. आरएनआई के पास सत्यापित शीर्षक पंजीकृत कराने के लिए मुझे किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा?

<u>समाचारपत्र को पंजीकृत कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आरएनआई कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएगें:</u>

1. i) प्रकाशक/मुद्रक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणापत्र (फॉर्म I) दाखिल किया जाए। फॉर्म I डाउनलोड करने के लिए घोषणापत्र का फार्म (HTTP://RNI.NIC.IN/PROFORMA/PDF_FILE/FORM1.PDF) पर क्लिक करें।

घोषणापत्र डीएम/प्रमाणीकरण कार्यालय द्वारा सीधे आरएनआई कार्यालय को अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। प्रकाशक/एजेंट/स्वामी आदि द्वारा घोषणापत्र की फोटोकॉपी/घोषणापत्र की प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. ii) पहले अंक की एक प्रति जिसमें वर्ष 1 और अंक 1 हो। पहला अंक प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

11. क्या घोषणापत्र दाखिल करते समय सत्यापित शीर्षक की आवधिकता में परिवर्तन की अनुमति है?

जी हां। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणापत्र दाखिल करते समय फॉर्म । के कॉलम 3 में वांछित आवधिकता का उल्लेख किया जाना चाहिए। संशोधित पंजीकरण के लिए भी यही बात लागू होती है (संशोधित पंजीयन: यदि किसी पंजीकृत समाचार पत्र में कोई परिवर्तन होता है, तो प्रकाशक को संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा)।

12. क्या घोषणापत्र दाखिल करते समय भाषा (भाषाओं) को जोड़ने की अनुमति है?

नहीं। पंजीकरण के समय शीर्षक के सत्यापन के समय जो भाषाएँ वर्णित थीं उनको ही शामिल किया जा सकता है । नयी भाषा नहीं जोड़ी जा सकती है । यदि प्रकाशक को दूसरी भाषा में भी संस्करण प्रकाशित करना है तो उन्हें पुनः दूसरी भाषा हेतु शीर्षक सत्यापित कराना होगा।

13. क्या घोषणापत्र दाखिल करते समय किसी सत्यापित द्विभाषी/बहुभाषी समाचारपत्र की भाषा का छोड़ा जाना स्वीकार्य है?

जी हां। कितनी भी भाषाएं छोड़ी जा सकती हैं। तथापि, प्रकाशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाचारपत्र केवल घोषित की गई भाषा (भाषाओं) में ही प्रकाशित किया गया है। संशोधित पंजीयन के लिए भी यही बात लागू होती है।

14. क्या सत्यापित शीर्षक के प्रकाशन के स्थान को एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की अनुमति है?

जी हां। कारण फॉर्म । के कॉलम 11(सी) (अर्थात प्रकाशन के स्थान का स्थानांतरण) में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। संशोधित पंजीयन के लिए भी यही बात लागू होती है।

15. क्या घोषणापत्र दाखिल करते समय सत्यापित शीर्षक के प्रकाशन के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने की अनुमति है?

जी नहीं। ऐसे परिवर्तनों के लिए नए राज्य के संबंधित डीएम के माध्यम से शीर्षक के सत्यापन हेतु नए आवेदन की आवश्यकता होती है। संशोधित पंजीयन के लिए भी यही बात लागू होती है।

16. क्या आरएनआई पंजीकरण से पहले सत्यापित शीर्षक के स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति देता है?

जी नहीं। स्वामित्व परिवर्तन केवल पंजीकृत समाचारपत्रों के लिए ही किया जा सकता है।

17. क्या समाचारपत्र का पहला अंक निकालने की कोई समय-सीमा है?

जी हां। पहला अंक (अर्थात वर्ष 1, अंक 1) निम्नलिखित अवधि के भीतर निकालना होगा:

1. **साप्ताहिक या उससे कम आवधिकता वाले समाचारपत्र के मामले में घोषणापत्र के प्रमाणीकरण के 42 दिन और**
2. **अन्य समाचारपत्र जिनकी आवधिकता साप्ताहिक से ज्यादा हो उन्हें 90 दिन के अंतर्गत यह अंक प्रकाशित करना होगा।**

18. डीएम द्वारा घोषणापत्र के प्रमाणीकरण से पहले प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था, ऐसे मामले में क्या किया जाएगा?

दो बातें हो सकती हैं:

1. **घोषणापत्र के प्रमाणीकरण के तत्काल बाद प्रकाशित होने वाले अंक को वर्ष 1, अंक 1, के रूप में पुन: क्रमांकित किया जा सकता है, अथवा**

2. **घोषणापत्र के प्रमाणीकरण के तत्काल बाद प्रकाशित किए गए अंक की प्रति एक लिखित वचन पत्र के साथ प्रस्तुत की जा सकती है जिसमें आरएनआई से इसे पहला अंक (अर्थात वर्ष 1, अंक 1) मानने का अनुरोध किया जा सकता है।**

19. पहला अंक दिए गए 42/90 दिनों के भीतर प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में क्या किया जाए?

डीएम के समक्ष एक नया घोषणापत्र दाखिल किया जाना चाहिए और तत्पश्चात पहला अंक प्रकाशित किया जाए।

20. क्या मुझे आरएनआई पंजीकरण या प्रमाण पत्र को वार्षिक रूप से नवींकृत करने की आवश्यकता है?

जी नहीं, आरएनआई पंजीयन या प्रमाणपत्र एक बार जारी किए जाने के पश्चात किसी नवींकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यदि पंजीयन ब्यौरे में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो प्रकाशक को संशोधित पंजीयन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगा।

21. जब पहला अंक दिए गए 42/90 दिनों के भीतर प्रकाशित नहीं किया जा सका हो, तो अधिप्रमाणित घोषणापत्र का क्या होगा?

ऐसा घोषणापत्र अमन्य हो जाएगा।

22. संशोधित पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

<u>निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी</u>:

- **प्रकाशक द्वारा दाखिल और प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा सरकारी चैनल (सरकारी ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से) के माध्यम से आरएनआई को भेजा गया घोषणापत्र।**
- **आरएनआई द्वारा जारी किया गया मूल पंजीयन प्रमाण पत्र वापस करना होगा। ऐसे मामले में जहां मूल प्रमाणपत्र खो गया है/गुम हो गया है, मूल प्रमाणपत्र के खो जाने से संबंधित नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रपत्र rni.nic.in पर उपलब्ध है)।**

- **घोषणापत्र के प्रमाणीकरण के तत्काल बाद प्रकाशित नवीनतम अंक की प्रति या जो भी आद्यतन हो।**
- **किसी भी लंबित जुर्माने का भुगतान करना होगा और यूटीआर egov.rni.nic.in पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए। (आरएनआई को जुर्माना अदा करने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली) पर दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।**
- **डीएम/डीआईपीआर/पीआईबी द्वारा जारी नियमितता प्रमाण पत्र अथवा प्रकाशन के 50% अंक (केवल गत 3 लगातार वर्षों से वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किए गए मामले में)।**
- **अंक के केवल संपादक/मूल्य परिवर्तन के मामले में, प्रकाशक/स्वामी द्वारा अपने आधिकारिक लेटरहेड पर आरएनआई को लिखा साधारण पत्र ही आरएनआई के रिकॉर्ड में परिवर्तन के लिए पर्याप्त होगा। तथापि, इस प्रक्रिया में आरएनआई द्वारा संशोधित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। संशोधित प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित नए घोषणापत्र की आवश्यकता होगी।**

23. स्वामित्व परिवर्तन से संबंधित संशोधित पंजीयन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

- **प्रकाशक द्वारा दायर और प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित तथा आधिकारिक चैनल (आधिकारिक ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से) के माध्यम से आरएनआई कार्यालय को प्रेषित घोषणापत्र।**
- **आरएनआई कार्यालय द्वारा जारी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र वापस किया जाए। ऐसे मामले में जहां मूल प्रमाणपत्र खो गया है/गुम हो गया है, मूल प्रमाणपत्र के खो जाने से संबंधित नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत किया जाए (प्रपत्र rni.nic.in पर उपलब्ध है)।**
- **घोषणापत्र के प्रमाणीकरण के तत्काल बाद प्रकाशित नवीनतम अंक की प्रति या जो भी आद्यतन हो।**

- किसी भी लंबित जुर्माने का भुगतान करना होगा और यूटीआर संख्या egov.rni.nic.in पर ऑनलाइन दाखिल की जानी चाहिए। (आरएनआई को जुर्माना अदा करने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली) पर दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।
- डीएम/डीआईपीआर/पीआईबी द्वारा जारी नियमितता प्रमाण पत्र अथवा प्रकाशन के 50% अंक (केवल गत 3 लगातार वर्षों से वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किए गए मामले में)।

24. किसी पंजीकृत समाचार पत्र के स्वामित्व हस्तांतरण/परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया है?

स्वामी को पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वामित्व हस्तांतरण के लिए शपथपत्र निष्पादित करना होगा। संगत प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए स्वामित्व हस्तांतरण हेतु शपथ पत्र पीडीएफ (HTTP://RNI.NIC.IN/PROFORMA/PDF_FILE/OWNERSHIP.PDF) पर क्लिक करें। इसे घोषणापत्र तथा पंजीयन के लिए डीएम कार्यालय द्वारा यथा आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ डीएम/एलए कार्यालय में जमा किया जाएगा। इस मामले में आरएनआई कार्यालय डीएम कार्यालय से प्राप्त मूल घोषणापत्र पर ही कार्रवाई करेगा। किसी सीधे प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया आरएनआई की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशानिर्देश देखें।

25. क्या नया घोषणापत्र दाखिल किए बगैर संपादक के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है?

जी हां। संपादक के नाम में परिवर्तन के संबंध प्रकाशक प्रकाशन के आधिकारिक पत्र पर लिखित अनुरोध कर सकता है। पत्र में पदस्थ संपादक का नाम और पता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए और इसके साथ समाचारपत्र के नवीनतम अंक की प्रति भी संलग्न होनी चाहिए, जिसकी इंप्रिंटलाइन में नए संपादक का नाम छपा हो।

26. क्या नया घोषणापत्र दाखिल किए बगैर समाचारपत्र के विक्रय मूल्य में परिवर्तन किया जा सकता है?

जी हां। मूल्य में परिवर्तन के संबंध में प्रकाशक प्रकाशन के आधिकारिक पत्र पर लिखित अनुरोध कर सकता है। बढ़ा हुआ खुदरा विक्रय मूल्य पत्र में स्पष्ट रूप से राशि अंकित होना चाहिए। मूल्य परिवर्तन की पुष्टि के लिए समाचारपत्र के नवीनतम अंक की प्रति भी संलग्न होनी चाहिए।

27. यदि आरएनआई द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र खो गया है तो डुप्लिकेट पंजीयन प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?

डुप्लिकेट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे:-

- प्रकाशक/स्वामी द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र गुम हो जाने से संबंधित नोटरीकृत शपथपत्र।
- किसी लम्बित पैनल्टी का भुगतान करना होगा और यूटीआर egov.rni.nic.in पर ऑनलाइन दाखिल की जाए।
- नवीनतम अंक की प्रति।

28. एक लम्बे विराम के पश्चात मैं पंजीकृत समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कैसे शुरू करूं?

प्रकाशक संबंधित डीएम के समक्ष नया घोषणापत्र दाखिल करें जिसके कॉलम 11 (सी) में स्पष्ट रूप से कारण बताएं (उदाहरण के लिए, 'लंबे अंतराल के पश्चात प्रकाशन फिर से शुरू करने हेतु', आदि) और घोषणापत्र के प्रमाणीकरण के तत्काल बाद प्रकाशित अंक को वर्ष 1, अंक 1 क्रमांकित करके प्रकाशन पुनः आरम्भ करें। उक्त समाचारपत्र की पंजीयन संख्या बरकरार रखी जाएगी। तथापि, वरिष्ठता (अर्थात स्थापना वर्ष) समाप्त कर दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया संशोधित पंजीकरण के समान है (बिंदु #21 देखें)

29. मैं समाचारपत्र/पत्रिका का प्रकाशन स्थायी रूप से कैसे समाप्त/बंद कर सकता हूँ?

डीएम के समक्ष फॉर्म I दाखिल किया जाना चाहिए, जिसके कॉलम 11 (सी) में 'आरएनआई नंबर के तहत पंजीकृत (समाचारपत्र/पत्रिका का शीर्षक) का प्रकाशन स्थायी रूप से बंद करने का कारण स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। आरएनआई प्रमाणपत्र की मूल प्रति वापिस की जानी चाहिए। ऐसा आवेदन संबंधित डीएम के माध्यम से भेजा जाए।

30. मैं किसी अन्य प्रश्न जिसे प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) में शामिल नहीं किया गया है, का उत्तर कैसे पा सकता हूं?

आप आरएनआई कार्यालय से फोन/ईमेल/वर्चुअल बैठकों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 स्थित आरएनआई मुख्यालय जा सकते हैं। ऑनलाइन

मीटिंग हेतु टोकन बनाने हेतु इस लिंक पर क्लिक करें
http://rni.nic.in/visitors/EntryGeneration.aspx